



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर - 452 001

// अतिआवश्यक //

पृ.पत्र क्र. प्रशा./बीडी/खदान/2025/600

दिनांक 26 JUN 2025

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2025-26 में बीडी/खदान श्रमिकों एवं उनके अध्ययनरत पुत्र-पुत्रियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना की आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के संबंध में।

सन्दर्भ:- पत्र क्र.1/305432/2025 DHE/4/1/0054/2025-Scholr दिनांक 13.06.2025.

“शैक्षणिक सत्र 2025-26 में बीडी/खदान श्रमिकों एवं उनके अध्ययनरत पुत्र-पुत्रियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया दिनांक 02.06.2025 से प्रारंभ हो गई है जिसकी आवेदन की अंतिम दिनांक 31.10.2025 निर्धारित है।”

प्रति,

1. विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/विभाग प्रमुख,समस्त अध्ययनशालाएं/संस्थान/देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला परिसर, खंडवा रोड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. विभागाध्यक्ष, आय.टी. सेन्टर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।


सहा.कुलसचिव (प्रशासन)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

DRAM

Endorse to all heads

18/6/25

क्रमांक I/305432/2025 DHE/4/1/0054/2025-Scholr दिनांक 13-06-2025

प्रति,

कुलसचिव,
समस्त शासकीय विश्वविद्यालय,
उच्च शिक्षा, म.प्र.



प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय
उच्च शिक्षा, म.प्र.।

Sent via mail
18/6/25

विषय:-शैक्षणिक सत्र 2025-26 में बीडी/खदान श्रमिकों एवं उनके अध्ययनरतर पुत्र-पुत्रियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना की आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के संबंध में।

संदर्भ:-उप कल्याण आयुक्त (के), भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कार्यालय कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण म.प्र. परिक्षेत्र का पत्र क्रमांक BWF/13(01)/2025 दिनांक 09.06.2025

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में बीडी/खदान श्रमिकों एवं उनके अध्ययनरतर पुत्र-पुत्रियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया दिनांक 02.06.2025 से प्रारंभ हो गई है जिसकी आवेदन की अंतिम दिनांक 31.10.2025 निर्धारित है। योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों से आवेदन एवं प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर सत्यापित करने का कष्ट करें।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Ram Kumar Goswami
Date: 16-06-2025
17:56:24

संलग्न:- संदर्भित पत्र

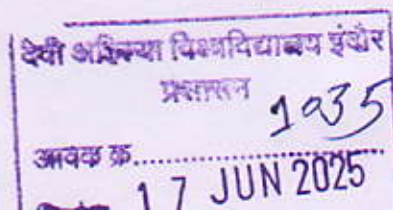
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ.क्रमांक I/305432/2025 DHE/4/1/0054/2025-Scholr दिनांक 13-06-2025

प्रतिलिपि :-

1. उप कल्याण आयुक्त (के), भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कार्यालय कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण म.प्र. परिक्षेत्र 797, शांति कुंज साऊथ सिविल लाईन जबलपुर को संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, समस्त संभाग, भोपाल।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा, म.प्र.





ई-मेल

भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय / GOVT. OF INDIA, MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT,
कार्यालय कल्याण आयुक्त / OFFICE OF THE WELFARE COMMISSIONER,
श्रम कल्याण मओप्रओ परिक्षेत्र / LABOUR WELFARE ORGANISATION, M.P. REGION,
797, शांति कुंज साऊथ सिविल लाइन्स / 797, SHANTI KUNJ, SOUTH CIVIL LINES
जबलपुर (मओप्रओ) - 482001 / JABALPUR (M.P.) - 482001
दूरभाष नंबर / Phone No. :- 0761-4039510
E-mail/ई-मेल: -wcjab@mp.gov.in, wc.jabalpur@rediffmail.com

कमांक :- BWF/13(01)2025-~~25~~

दिनांक- /06/2025

प्रति,

श्रीमान प्रमुख सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
म.प्र. शासन।

विषय:- शैक्षणिक सत्र- 2025-26 में बीड़ी/खदान श्रमिकों एवं उनके अध्ययनरत पुत्र-पुत्रियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना की आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के संबंध में।

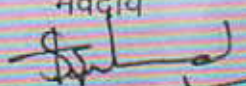
महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित करना है कि श्रम कल्याण संगठन, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत बीड़ी, चूना पत्थर एवं डोलोमाईट व लौह-मैंगनीज-क्रोम अयस्क खदान श्रमिकों एवं उनके पुत्र/पुत्रियों को कक्षा 1 से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के वित्तीय सहायता (छात्रवृत्ति) प्रदान करता है। शैक्षणिक सत्र-2025-26 में आवेदन करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NATIONAL SCHOLARSHIP PORTAL) पर आवेदन प्रक्रिया दिनांक- 02/06/2025 से प्रारंभ हो चुकी है। जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि पोस्ट मेट्रिक हेतु दिनांक- 31.10.2025 निश्चित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ समस्त संबंधित अधिकारियों के माध्यम से राज्य में संचालित समस्त उच्च शिक्षण संस्थान प्रमुखों को यह जानकारी प्रदान करवाने का श्रम करें कि बीड़ी एवं खदान श्रमिकों के अध्ययनरत पुत्र-पुत्रियों को छात्रवृत्ति योजना की जानकारी प्रदान करते हुए अधिकाधिक पात्र छात्र-छात्राओं को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए साथ ही छात्र-छात्राओं द्वारा किए गए छात्रवृत्ति आवेदनों का शिक्षण संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला सत्यापन कार्य भी अंतिम तिथि 15.11.2025 से पूर्व करना सुनिश्चित हो।

छात्रवृत्ति योजना के संबंध में यह भी अनुरोध किया जाता है कि शिक्षण संस्थान प्रमुखों को यह जानकारी भी प्रदान करने का श्रम करें कि यदि बीड़ी एवं खदान श्रमिक के पुत्र-पुत्री यदि अल्पसंख्यक श्रेणी अथवा अन्य विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना में पात्रता रखते हैं, जिनमें छात्रवृत्ति राशि अधिक हो तो, उच्चतम छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु उनका मार्गदर्शन कर उन्हें प्रोत्साहित करें।

भवदीय


उप कल्याण आयुक्त (कै.)
श्रम कल्याण संगठन
जबलपुर



भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय / GOVT. OF INDIA, MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT,
कार्यालय कल्याण आयुक्त / OFFICE OF THE WELFARE COMMISSIONER,
श्रम कल्याण मओप्रो परिक्षेत्र / LABOUR WELFARE ORGANISATION, M.P. REGION,
797, शांति कुंज साउथ सिविल लाइन्स / 797, SHANTI KUNJ, SOUTH CIVIL LINES
जबलपुर (मओप्रो) - 482001 / JABALPUR (M.P.) - 482001
दूरभाष नंबर / Phone No. :- 0761-4039510
E-mail/ई-मेल :- wclab@mp.gov.in, wc.jabalpur@rediffmail.com

क्रमांक - BWF/13(01)2025-28

दिनांक - /06/2025

परिपत्र

शैक्षणिक सत्र - 2025-26 के लिए "शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना" के अंतर्गत मान्यता प्राप्त शिक्षण-संस्थाओं में अध्ययनरत मध्यप्रदेश राज्य के बीड़ी, लौह, मैंग्रीज, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खदान श्रमिक एवं उनके पुत्र-पुत्रियों के लिए संचालित शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता (छात्रवृत्ति) योजना की आवेदन प्रक्रिया के संबंध में।

आवेदन करने की प्रारंभ तिथि- 02.06.2025

कक्षा 01 से 10 तक के लिए अंतिम तिथि- 31.08.2025

कक्षा 11 से उच्च शिक्षा हेतु अंतिम तिथि- 31.10.2025

क्र.सं.	कक्षा	राशि
01.	1-4	1000/-
02.	5-8	1500/-
03.	9-10	2000/-
04.	11-12	3000/-
05.	आईटीआई, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा	6000/-
06.	स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम (बी.एस.सी. कृषि आदि)	6000/-
07.	व्यावसायिक डिग्री जैसे- बी.ई., बी.टेक., एम. बी. बी.एस., बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस. एम.सी.ए. आदि।	25000/-

छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता एवं शर्तें :-

01. आवेदक विद्यार्थी के माता-पिता में से कोई एक बीड़ी/ चूना पत्थर एवं डोलोमाइट /लौह मैंग्रीज-क्रोम अयस्क खदान में न्यूनतम छः माह से पंजीकृत श्रमिक के रूप में कार्यरत हो।
02. बीड़ी श्रमिकों की सभी स्त्रोतों से कुल पारिवारिक आय 10000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
03. ऐसे खदान श्रमिक जो कि मैनुअल अकुशल, अर्धकुशल, उच्चकुशल और लिपिकीय वर्ग का कार्य करते हैं, उनके लिए मासिक आय की कोई बाध्यता नहीं है।
04. ऐसे खदान श्रमिक जो पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय (supervisory & managerial) क्षमता में कार्यरत हैं, उनकी मासिक आय 10000/- रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
05. आवेदक छात्र/छात्रा का स्वयं का बैंक खाता होना आवश्यक है, ज्वाइंट खाता होने की स्थिति में प्रथम नाम आवेदक छात्र/छात्रा का होना चाहिए साथ ही बैंक खाता आधार से भी आवश्यक रूप से लिंक होना चाहिए।
06. मात्र उन्हीं बीड़ी/खदान श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियों को इस योजना में आवेदन करने की पात्रता होगी जिन्हें राज्य अथवा किसी अन्य स्त्रोत से जारी शैक्षणिक सत्र में SC/ST/OBC /दिव्यांग/अल्पसंख्यक आदि श्रेणी हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृत/भुगतान नहीं की जा रही है अथवा नहीं की जावेगी अर्थात् संबंधित छात्र-छात्रा केन्द्र अथवा राज्य में से किसी एक ही छात्रवृत्ति में आवेदन हेतु पात्र होंगे।
07. आवेदन करने वाले प्रत्येक छात्र-छात्रा स्वयं के मोबाइल नंबर का उल्लेख करें।
08. पत्राचार/स्वाध्यायी/दूरवर्ती माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्र-छात्रा इस छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं है।